

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025/.....37(आ.)पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/08/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 40(स्वी०) दिनांक 06.08.2026 के आलोक में कुल ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

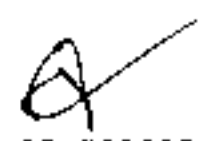
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय संकल्प संख्या 10744 दिनांक 20.07.2026 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 40(स्वी०) दिनांक 06.08.2026 द्वारा पंचायत परिसीमन, 2026 कराने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map 50/प्रति EB तथा ब्लॉकवाइज गणना एवं संबंधित कार्य हेतु विपत्र कोड-16-2515008000114 के "विषय शीर्ष-0114.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' मद से राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को कुल ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत परिसीमन, 2026 कराने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map 50/प्रति EB तथा ब्लॉकवाइज गणना एवं संबंधित कार्य हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को कुल ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0114-ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष-0114.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' इकाई से किया जायेगा। इसका मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000114 है।

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 40(स्वी०) दिनांक 06.08.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।
6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता के प्रपत्र BTC-42 पर की जायेगी साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या 9736 दिनांक 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42(A) में आवंटनादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन, बिहार, पटना की होगी।
8. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. इस आवंटित राशि की निकासी हेतु कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
11. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
12. नियमानुसार स्रोतपर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

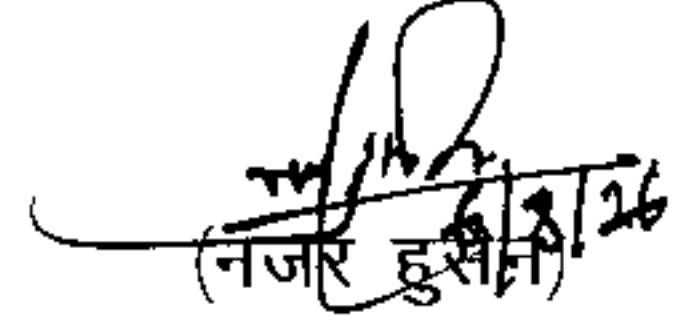


13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025 के पृष्ठ संख्या 27/टि० पर दिनांक 06/08/26 को प्राप्त है।

14. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

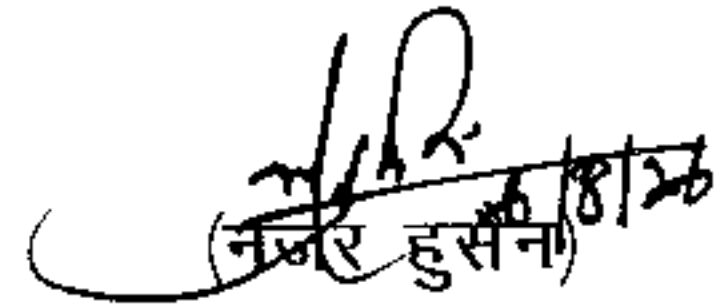
15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(नज़र हुसैन)

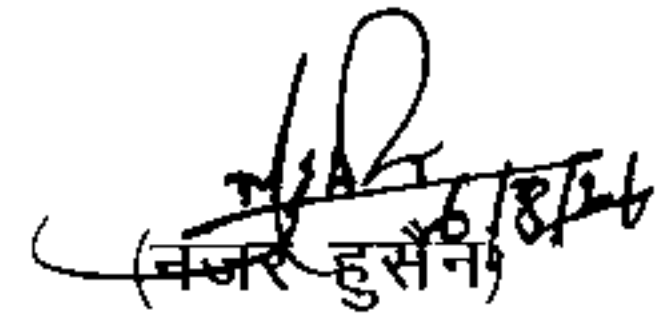
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025 / 37(अ.पं०रा०, पटना, दिनांक. 06/08/2026
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी-06 (निर्वाचन) एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नज़र हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025 / 37(अ.पं०रा०, पटना, दिनांक. 06/08/2026
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नज़र हुसैन)

विशेष सचिव



4